न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00221

1. श्रीमती नन्दकंवर पुत्री स्वर्गीय श्री भैरूलाल पत्नी श्री पन्ना लाल जाति ब्राह्मण निवासी बडीज्याग के सामने मेहरापाडा वार्ड नम्बर 30, कोटा ।
2. कन्हैया लाल आत्मज धन्ना लाल जाति धाकड निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. बाबूलाल आत्मज स्वर्गीय श्री औंकार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बालहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. छीतर लाल आत्मज स्वर्गीय नारायण जाति धाकड निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. चौथमल आत्मज स्वर्गीय गोपाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. श्रीमती बिरधी बाई पत्नी श्री कन्हैया लाल जाति धाकड निवासी ग्राम खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती हरकुंवर शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी हाल आर 75 रायल सिटी आदित्य आवास विस्तार बजरंग नगर, कोटा ।
2. योगेन्द्र कुमार आचार्य आत्मज स्वर्गीय श्री रामकिशन जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 30/200 मेहरापाडा बजाजखाना कोटा (मांगीलाल जी पंतग वाले के माकन के पास मेहरापाडा) कोटा ।
3. रितेश आत्मज स्वर्गीय श्री रामकिशन जाति ब्राह्मण निवासी आर 75 रायलसिटी आदित्य आवास विस्तार बजरंग नगर, कोटा ।
4. श्रीमती राधा बाई पुत्री स्वर्गीय श्री रामकिशन जी पत्नी बनवारी लाल भारद्वाज जाति ब्राह्मण निवासी क्वार्टर नम्बर एनजीओ एन – 12 पुलिस लाईन – 46001 हशिगांबाद (मध्यप्रदेश) ।
5. श्रीमती उर्मिला बाई पुत्री स्वर्गीय श्री रामकिशन जी पत्नी मुकेश जी आचार्य जाति ब्राह्मण हाउसिंग बोर्ड कोलोनी क्वार्टर नम्बर 2/74 सवाई माधोपुर जिला सवाईभाधोपुर ।
6. ग्यारसी बाई पत्नी रामकिशन जाति ब्राह्मण निवीस आर–75 रायलसिटी आदितय आवास विस्तार बजरंग नगर, कोटा ।
7. गोरधन
8. पुरूषोत्तम पिसरान स्वर्गीय श्री प्रभूलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण 3 सी – 59 दादाबाडी विस्तार योजना, कोटा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक, अपीलान्ट क्रम 5 की ओर से ।
2. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89,91 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के पूर्वज मंदिरों की सेवा पूजा व गॉव के व्यक्तियों की शादी ब्याह तथा धार्मिक कार्यों की पंडिताई का कार्य किया करते थे जिसके मेहनताना स्वरूप एवं परिवार का गुजर बसर करने की दृष्टि से महाराजा कोटा के द्वारा वादीगणों को ग्राम रसूलपुर में कुल 08 किता की 31 बीघा भूमि बख्शीश दी थी । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज है । बाद सेटलमेंट उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 226, 227, 228, 229, 295, 339, 341 कायम किये गये । वादग्रस्त आराजी का पारिवारिक बंटवार किया गया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के पूर्वजों को प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बनता है । वादीगण के पति एवं पिता स्व0 श्री रामकिशन जी कजोडी के यहॉ गोद चले गये जिससे स्व0 रामकिशन जी कजोड जी का 1/5 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं और स्व0 भंवर लाल के पौते स्व0 रामनारायण जी की पत्नी मु0 हरकंवर वादिनी जीवित है जो स्व0 भंवर लाल जी का 1/5 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है और इस प्रकार वादीगण 12 बीघा 08 बिस्वा भूमि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, किन्तु पारिवारिक विभाग में वादीगण को मात्र 1.16 हैक्टर भूमि ही दी गई है जो लगभग 07 बीघा बैठती है इस प्रकार वादीगण को 05 बीघा 08 बिस्वा के लगभग भूमि कम मिली है। उक्त भूमि पूर्वजों के समय से संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । वादीगण के पारिवारिक शजरे के अनुसार बने हुए हिस्से का बंटवारा करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाना न्यायोचित है । खसरा नम्बर 341 रकबा 0.50 हैक्अर जो पानाबाई के पारिवारिक बंटवारे में हिस्से में आई थी उसको पानाबाई ने कन्हैया लाल आमलिया पुत्र धन्ना लाल को बेचान कर दिया जबकि ऐसा करने का अधिकार पानाबाई को नहीं था । बेचान करने से पूर्व बराबर हिस्सा करवाना आवश्यक था ऐसा किया गया बेचान प्रभावशून्य है । खसरा नम्बर 29 रकबा 0.46 हैक्टर का बेचान बाबूलाल पुत्र औंकार प्रतिवादी ने छीतर लाल पुत्र नारायण जाति धाकड निवासी खेडारसूलपुर को गलत रूप से बेचान कर दिया और इसी प्रकार खसरा नम्बर 339 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 295 रकबा 0.24 हैक्टर का भी गलत रूप से बेचान किया गया है । पक्षकारान को वादग्रस्त आराजी में उनके हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन नहीं हआ है । वादीगण को वादग्रस्त आराजी का पारिवारिक शजरे के अनुसार विभाजन कराने का अधिकार है।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पारिवारिक शजरे के अनुसार विधिवत विभाजन किया जाकर रकबा पूर्ति किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के हिस्से में आई हुई आराजियात का रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे तथा दावे का निर्णय होने तक प्रतिवादीगण द्वारा गलत रूप से किये जा रहे बेचान व कब्जे काश्त की भूमियों को किसी प्रकार से बेचान व हस्तान्तरण करने पर रोक लगाई जावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.05.2017 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण क्रम 2, 3, 6, 7 व 8 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया कि कजोड जी द्वारा रामकिशन को गोद नहीं लिया गया था तथा रामकिशन कजोड जी का गोदपुत्र नहीं था । इस कारण कजोड जी का हिस्सा रामकिशन एवं वादीगण रेस्पोडेन्ट प्राप्त करन के अधिकारी नहीं हैं । दावा दायरी के लगभग 50 वर्ष पूर्व तत्कालीन सहखातेदारान ने स्वेच्छा एवं पारस्परिक सहमति से मौखिक रूप से वादग्रस्त आराजी का विभाजन कर लिया था । मुताबिक बंटवारा खसरा नम्बर 341 की 0.50 हैक्टर एवं हाल खसरा नम्बर 228 की 1.02 हैक्टर भूमि प्रतिवादी क्रम 01 पाना बाई के पति भैरूलाल एवं पानाबाई को प्राप्त हुई थी जो उनके पृथक खाते में दर्ज हो गई थी । प्रतिवादी क्रम 01 पानाबाई की मृत्यु हो चुकी है प्रतिवादी अपीलान्ट क्रम 1 श्रीमती नन्दकंवर पानाबाई की पुत्री एवं उत्तराधिकारी है एवे बेचान के बाद शेष बची हाल खसरा नम्बर 228 की 1.02 हैक्टर भूमि पर काबिज है इस तथ्य को अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रमाणित कर दिया था । वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 6 द्वारा पुनः विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद पोषनीय नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पेडेन्ट वादीगण का दावा डिक्री कर वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया है । आराज़ी खसरा नम्बर 226 की 1.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 228 की 1.02 हैक्टर में से 0.52 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 295 की 0.24 हैकअर में से 0.16 हैक्दर खसरा नम्बर 339 की 0.76 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर आराजी का वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 6 को खातेदार घोषित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि कजोड जी के द्वारा रामरतन को गोद नहीं लिया गया था । कजोड का हिस्सा रामकिशन एवं वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं ।

50 वर्ष पूर्व सहखातेदारान ने स्वेच्छा एवं पारस्परिक सहमति से मौखिक बंटवारा कर लिया था और पृथक–पृथक अपने हिस्से पर काबिज हो गये थे । उसे बंटवारे के अनुसार हाल खसरा नम्बर 341 रकबा 0.50 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 228 रकबा 1.02 हैक्टर भूमि पाना बाइ के पति भैरूलाल को प्राप्त हुई थी जो उनके पृथक खाते में दर्ज की गई । इस प्रकार सहखातेदारान ने इस विभाजन को एक्ट अपोन कर लिया था । नन्दकंवरी, पाना बाई की पुत्री है और बेचान के उपरान्त शेष बची हुई आराजी पर काबिज है । वादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा पुनः विभाजन के लिए दावा पेश किया है जो पोषनीय नहीं है । पानाबाई के द्वारा अपने तन्हा खाते की आराजी खसरा नम्बर 341 रकबा 0.50 हैक्टर जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपीलान्ट क्रम 06 बिरधी बाई को सन् 2002 में विक्रय कर कब्जा संभला दिया था । यह आराजी अपीलान्ट क्रम 06 के खाते में दर्ज हो चुकी है । अपीलान्ट क्रम 06 आवश्यक पक्षकार थी जिसे पक्षकार बनाये बिना दावा डिक्री किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट के द्वारा जो दस्तावेजात पेश किये गये थे उन पर गौर नहीं किया गया है । सेटलमेंट के दौरान सहखातेदारन की सहमति से विभाजन किया जा सकता है । प्रदर्श– ए–4 से ए–32 सिंचाई की रसीदे हैं जो पानाबाई के तन्हा कब्जे को प्रमाणित करते हैं । प्रदर्श– ए–2 के अनुसार खसरा नम्बर 341 की 0.50 हैक्टर और खसरा नम्बर 228 की रकबा 1.02 हैक्टर पानाबाई के तन्हा खाते में दर्ज है । प्रदर्श–ए–17 सिंचाई विभाग का नोटिस है जो पानाबाई के नाम जारी किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1990 (1) पेज 657, आरआरडी 2003 पेज 20, आरआरडी 2019 पेज 494, आरआरडी 1985 पेज 694 उद्धरत की ।

9. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट क्रम 05 ने अपनी बहस में कथन किया कि बिरधी बाई जिनके द्वारा वादग्रस्त आराजी को क्रय किया गया है वो इसमें आवश्यक पक्षकार हैं उनको पक्षकार बनाये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से यह कहा जा रहा है कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन हो चुका है जबकि नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 7 के अनुसार खसरा नम्बर 226 की रकबा 1.16 हैक्टर आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है इस आराजी का विभाजन नहीं हुआ है । प्रारम्भिक रूप से वादग्रस्त आराजी के 05 सहखातेदार दर्ज थे भंवरिया, कजोड, गोप्या, भवाना एवं बरधा । कुछ सहखातेदारों ने अपने हिस्से की आराजी का विक्रय किया है कुल 31 बीघा आराजी थी जिसके 05 सहखातेदार थे प्रत्येक को इसमें 1/5 हिस्सा मिलना चाहिए आराजी का विभाजन नहीं हुआ है । यदि किसी सहखातेदार ने अपने हिस्से की आराजी में से कुछ आराजी का विक्रय किया है तो उसका हिस्सा उससे कम होना, चाहिए । सेटलमेंट को कोई अधिकार आराजी के विभाजन का नहीं है। अपीलान्ट रामकिशन के गोद जाने पर आपत्ति करते हैं । कजोड लाऔलाद फौत हुआ है उसके भाई भंवर लाल की मृत्यु हो चुकी है और उनके पुत्र घनश्याम की भी मृत्यु हो चुकी है। घनश्याम के पुत्र रामनारायण लाऔलाद फौत हुए हैं ऐसी स्थिति में कजोड की सम्पत्ति रामकिशन को ही प्राप्त होगी । कुल 31 बीघा आराजी है जिसमें अगर 05 हिस्से किये जाते हैं तो प्रत्येक को लगभग 06 बीघा आराजी प्राप्त होती है परन्तु पानाबाई के खाते में 1.52 हैक्टर आराजी है जो कि अधिक है । उनके द्वारा जो आराजी विक्रय की गई है वो अपने हिस्से की

आराजी में से ही किया जा सकता है । पानाबाई के द्वारा 0.50 हैक्टर आराजी का विक्रय किया गया है जो उनके हिस्से से कम है । ऐसी स्थिति में बिरधी बाई जो कि इस आराजी की केता है उनसे वादीगण को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है । पानाबाई के द्वारा जो आराजी विक्रय की गई है उसके उपरान्त शेष बची हुई आराजी उनके खाते में रहेगी और उनके द्वारा विक्रय की गई आराजी बिरधीबाई को प्राप्त होगी । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि सम्मत रूप से दावा डिक्री किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2012 (2) (राज0) पेज 906, आरआरडी 1994 पेज 569, आरआरडी 1992 पेज 117 उद्वरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 1896–1899 प्रदर्श– 1 पेश किया है जिसके अनुसार भंवरिया, कजोडिया बेटा रूगनाथ गोप्या पुत्र नहना भवाना और बरधा बेटा भीमा वादग्रस्त आराजी 31 बीघा के खातेदार दर्ज हैं । नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 से 2057 प्रदर्श– 2 पेश किया है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 211, 209, 208, 102, 110, 111 अंकित हैं जबकि प्रदर्श– 1 में जो खसरा नम्बर अंकित हैं वो खसरा नम्बर 92, 93, 94, 95, 141, 142, 400 और 401 हैं । इस प्रकार प्रदर्श– 1 में जो खसरा नम्बर ,अंकित हैं उनका मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है । नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 3, नकल जमाबन्दी संवत् 1970 प्रदर्श– 4, नकल जमाबन्दी संवत् 1971 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी संवत् 2004 से 2007 प्रदर्श– 6, नकल जमाबन्दी संवत् 2055–58 प्रदर्श–7, जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 226 रकबा 1.16 हैक्टर पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 प्रदर्श– 8, नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 प्रदर्श–9 नया खाता संख्या 53, नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 प्रदर्श– 10 पेश किये हैं जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 229 छीतर लाल के खाते में और खसरा नम्बर 228 नन्दकंवरी के खाते में दर्ज है ।

12. प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2016–2014 प्रदर्श–ए–1 पेश किया है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 209 और 111 पानाबाई के तन्हा खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2038–2057 प्रदर्श–ए–2 पेश किया है जिसके अनुसार पानाबाई के खाते में हाल खसरा नम्बर 228 की रकबा 1.02 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 341 की रकबा 0.50 हैक्टर आराजी दर्ज है । प्रदर्श– ए–4 लगायत ए–16 सिंचाई की रसीदें एवं प्रदर्श ए–17 नोटिस सिंचाई विभाग, प्रदर्श– ए–18 लगायत ए–31 सिंचाई विभाग की रसीदें पेश की गई हैं ।

13. बयान वादी हर कंवर शर्मा पीडब्ल्यू–1, रितेश आचार्य पीडब्ल्यू–2, दुर्गाशंकर पीडब्ल्यू–3, छीतर लाल पीडब्ल्यू–4, मांगीलाल पीडब्ल्यू–5 कराये गये हैं परन्तु पीडब्ल्यू–3, 4 और 5 के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्रों की ताईद नहीं की है जो सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है ।

14. प्रतिवादी की ओर से बयान नन्दकंवर डीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

15. वादीगण के द्वारा यह दावा हक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। दावा साबिक खसरा नम्बरान के साथ सन् 2003 में पेश किया गया है जबकि उसके बाद 02 बार भू–प्रबन्ध का कार्य हो चुका है । पत्रावली पर जो मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 2 संलग्न किया गया है उसमें साबिक खसरा नम्बर 211, 209, 208, 102, 110, 111 अंकित है । प्रदर्श–1 में जो खसरा नम्बर अंकित है जिनके आधार पर दावा पेश किया गया है वो खसरा नम्बर 92, 93, 94, 95, 141, 142 , 400 और 401 है । इससे यह आशय निकलता है कि पहले भू–प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षेत्रफल वादीगण के द्वारा पेश नहीं किया गया है जिसमें कि साबिक खसरा नम्बर 92, 93 आदि के नये नम्बर कायम किये गये हैं । वादीगण का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है परन्तु पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श–8 संलग्न है उसमें हाल खसरा नम्बर 226 पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है । हाल खसरा नम्बर 229 छीतर लाल के तन्हा खाते में दर्ज है । हाल खसरा नम्बर 228 नन्दकंवरी के तन्हा खाते में दर्ज है और मुताबिक नकल जमाबन्दी प्रदर्श–9 हाल खसरा नम्बर 227 ग्यारसी बाई के तन्हा खाते में दर्ज है और मुताबिक नकल जमाबन्दी प्रदर्श– ए–2 हाल खसरा नम्बर 341 और 228 पानाबाई के तन्हा खाते में दर्ज है । ऐसी स्थिति में जब तक पक्षकारान के द्वारा वो आदेश पेश नहीं किये जाते हैं जिनके आधार पर आराजियात तन्हा खाते में दर्ज की गई है एवं खसरा नम्बर 226 की आराजी संयुक्त खाते में दर्ज की गई है , तब तक इस प्रकरण में विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित नहीं किया जा सकता ।

16. अपील में अपीलान्टगण के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि बिरधी बाई के द्वारा पानाबाई से आराजी खसरा नम्बर 341 की 0.50 हैक्टर आराजी जरिये रजिस्टर्ड विकय्र पत्र सन् 2002 में कय की गई है । ऐसी स्थिति में बिरधी बाई इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है उन्हें पक्षकार बनाये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साबिक खसरा नम्बरान के साथ पेश किये गये दावे में हाल खसरा नम्बरान का उल्लेख करते हुए यह आदेश दिये गये हैं कि खसरा नम्बर 226 में से वादीगण के अलावा अन्य खातेदारान का नाम हटाया जावे । आराजी खसरा नम्बर 228 की रकबा 1.02 हैक्टर आराजी में से 0.52 हैक्टर आराजी और खसरा नम्बर 295 में से 0.16 हैक्टर आराजी और खसरा नम्बर 339 में से 0.16 हैक्टर आराजी वादीगण के खाते में दर्ज की जावे । जब वादीगण के द्वारा विभाजन का दावा पेश किया गया है तो उसमें समस्त सहखातेदारों का हिस्सा दर्शाते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी करना अनिवार्य होता है । वादीगण को 2.00 हैक्टर आराजी प्रदान की गई है और वादीगण के द्वारा जो अपना पारिवारिक शजरा पेश किया गया है उसके अनुसार ग्यारसीबाई, रामकिशन की पत्नी है और रामकिशन, भंवर लाल के पौत्र हैं । भंवर लाल और कजोड दोनों ही रघुनाथ के वारिस हैं । रघुनाथ के वारिस भंवर लाल और कजोडिया का प्रदर्श– 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी कुल 31 बीघा में 1/5 – 1/5 हिस्सा है जिसके अनुसार कुल हिस्सा 2/5 बनता है और मुताबिक नकल जामबन्दी प्रदर्श– 9 ग्यारसी बेवा रामकिशन के तन्हा खाते में खसरा नम्बर 227 की 0.86 हैक्टर आराजी दर्ज है जो उनके हिस्से में शामिल होगी । यदि खसरा नम्बर 227 की रकबा 0.86 हैक्टर आराजी वादीगण के हिस्से में शामिल की जाती है तो परीक्षण न्यायालय के द्वारा जो आराजी उनको प्रदान की गई है उसमें इसको शामिल करने से उनके हिस्से से अधिक आराजी उनको प्राप्त होती है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट क्रम 06 बिरधीबाई को बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाकर उन्हें जवाबदेही का अवसर प्रदान करें । जिस आधार पर कुछ आराजी पक्षकारान के तन्हा खाते में दर्ज की गई है और खसरा नम्बर 226 की आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है वो दस्तावेजात प्राप्त किये जावें साथ ही मिलान क्षेत्रफल जो प्रथम सेटलमेंट के समय तैयार किया गया है वो भी पक्षकारों से प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 27.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा